

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

उपस्थान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर
(सीढासीन अधिकारी केम्प स्थल ~~खाता~~)

निर्णय दिनांक 24/11/21

राजस्थान अधिनियम 1956

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~खाता~~ व भू0अ0नि0 ~~खाता~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~खाता~~ तहसील सहाड़ा व जिला सीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2077 में खाता संख्या 105 से 108, 847, 849 में वर्तमान में सर्व प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	खाता	105 से 108, 847, 849	लादी पुत्री शेकराज	लीला उर्फ लादी पुत्री शेकराज

न

(राजेश सुवालका)
पीढासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी)
पदेन सहायक कलक्टर (सीलवाड़ा) गंगापूर

प्रकरण संख्या 43/2021

दिनांक 24/11/21



1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
प्रार्थी लीला पुत्री शेकराज (खाता) को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीढासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग 2021
(उपखण्ड अधिकारी)
पदेन सहायक कलक्टर (सीलवाड़ा) गंगापूर